



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1972]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938

No. 1972]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2016

का.आ. 2643(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी पाइपलाइनों के लिये सक्षम अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये श्री के. एस. रविचंद्रन, स्पेशल तहसीलदार, तमिलनाडु सरकार, को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एल-14014/21/2016- जी. पी.-II]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2016

S.O. 2643(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorizes Shri K.S.Ravichandran, Special Tehsildar, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority for all pipelines of GAIL (India) Limited, under the said Act, within Tamil Nadu State and Union Territory of Puducherry.

[F. No. L-14014/21/2016-G.P.-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.